निर्माण खण्ड लो०नि०वि० कपकोट
पंजी नं. 250
डायरी नं. 2461
दि० 15.12.16

आदेश

उप जिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर ,.2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्र्तगत भनार–डाना–टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.750 है0 की दुगनी अवनत भूमि 3.500 है0 जो ग्राम हडबाड पटवारी क्षेत्र आरे तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 77 के पैमाईशी खेत नम्बर 5008 मध्ये 0.181 है0,5093 रकवा 0.448 है0,5096 रकवा 0.304 है0, 5100 मध्ये 1.310 है0, 5101 मध्ये रकवा 1.257 है0 कुल खेत 05 कुल रकवा 3.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(।।)/2012–18(120) /2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 805/X–4–16/ 1(231)/ 2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 3.500 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या – 66 / छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 07/12/ 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।
2–अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।
3–उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।
4–तहसीलदार,बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
14.12.16